

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 35] No.35]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2011/माघ 1, 1932 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2011/MAGHA 1, 1932

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

सा.का.िन. 44(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महार्रिजस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में (रिकार्ड कीपर/दफ्तरी/विरिष्ठ चपरासी/किनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर) भर्ती नियम, 2001, भारत के महार्रिजस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में (फराश/सफाई कर्मचारी/चौकीदार/माली/लोडर/चपरासी/पैकर) भर्ती नियम, 2001 और भारत के महार्रिजस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में, चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महार्रिजस्ट्रार का कार्यालय के तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशालयों में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2011 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती को पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (14) में विनिर्दिष्ट है।
 - 4. निरहताएं.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

225 GI/2011

- 5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए [PART II—SEC. 3(i)] जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का	पदों की			<u> सूची</u>		
नाम (1)	संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्री सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले य व्यक्तियों के लिए आयु-सं
मल्टी टास्किंग	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मल्टा टास्किंग स्टाफ	747*	सामान्य	पे बैंड-1,	लागू नहीं		(7)
स्टाफ	(2011)	केन्द्रीय सेवा,	5200-	7 161	लागू-नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच
	*कार्यभार के	समूह 'ग'	20200 रु.			टिप्पणी : आयु के निर्धारण
	अनुसार संख्या	अराजपत्रित,	+ ग्रेड पे			के लिए निर्णायक तारीख
	में परिवर्तन	अननुसचिवीय	1800 天.			कर्मचारी चयन आयोग द्वार
	किया जा			MAIN THE		नियत तारीख होगी।
	सकता है।	**		alson lynn 1		
2) ===	. *					
सीध भर्ती किए जा	ने वाले व्यक्तियों के	लिए सी	धे भर्ती किए जाने			
अपेक्षित शैक्षिक अं	ौर अन्य अर्हताएं		हिन राम और औ	वाल व्यक्तिया	के लिए परिवीध	क्षा की अवधि यदि
		. 19	हित आयु और शी	अक अहताएं	प्रोन्नति कोई ह	
(8))	. प्रा	दशा में लागू होंगी	या नहीं	night making it may	the sake of Trace also are
	2.		(9)		de in Albertane e	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा अथवा गाउँ कर्ने			0.		(.0)	
कक्षा अथवा सम	ातल्य उनीर्ण		लागू नह			ਰਬੰ
कक्षा अथवा सम	ातुल्य उत्तीर्ण		लागू नह			वर्ष
कक्षा अथवा सम	ातुल्य उत्तीर्ण	e apolitica de c escuelto de c escuelto de c	लागू नह			वर्ष
कक्षा अथवा सम् र्ती की पद्धति :	भूतीं सीधे होगी या	प्रोन्नति द्वारा या	त्रकर क्षण्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः		दो	Teneral efforts, interest as the other parties for the
कक्षा अथवा सम् त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति द्वारा या नद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या	प्रतिनियक्ति य	दो	Teneral efforts, interest as the other parties for the
कक्षा अथवा सम् त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन	ातुल्य उत्तीर्ण	प्रोन्नति द्वारा या नद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या	प्रतिनियक्ति य	दो	नि दशा में वे ग्रेड जिनसे
कक्षा अथवा सम तीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन ती जाने वाली रिक्ति	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति द्वारा या मद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या	दो ग आमेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा	Teneral efforts, interest as the other parties for the
कक्षा अथवा सम् त्रीं की पद्धति : तिनयुक्ति/आमेलन री जाने वाली रिक्ति	भुतीं सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प त्यों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या नद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या	दो	Teneral etterne, etterne Ses da etterne fra fra fra
कक्षा अथवा सम् त्रीं की पद्धति : तिनयुक्ति/आमेलन री जाने वाली रिक्ति	मुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प तयों की प्रतिशतता	प्रोन्नित द्वारा या मद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या	दो ग आमेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा	Teneral etteren i etteren 100 de eller 12 fer 12 fe fe
कक्षा अथवा सम त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन ी जाने वाली रिक्ति सीधी	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प तयों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा	नद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या प्रोन्नति या उ	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या	दो ा आमेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12)	Teneral etterne, etterne Ses da etterne fra fra fra
कक्षा अथवा सम त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन ी जाने वाली रिक्ति सीधी	भुतीं सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प त्यों की प्रतिशतता	नद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या प्रोन्नति या उ	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला	दो आमेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं	ही दशा में वे ग्रेड जिनसे
कक्षा अथवा सम त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन ी जाने वाली रिक्ति सीधी	भुतीं सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प त्यों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा	नद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या प्रोन्नति या उ	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मुंच को क
कक्षा अथवा सम तों की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन तो जाने वाली रिक्ति सीधी	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प तयों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है,	तो उसकी संरच-	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र गा क्या है ?	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिनि आयोग से परामर्श किय	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मुंच को क
कक्षा अथवा सम तों की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन तो जाने वाली रिक्ति सीधी	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प तयों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है,	तो उसकी संरच-	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र गा क्या है ?	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मण स्टेस्ट
कक्षा अथवा सम् त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन ती जाने वाली रिक्ति सीधी विभागीय प्रोन्निति	भुति सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प् त्यों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है, (13) प्रोन्नित समिति (तो उसकी संरच-	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र गा क्या है ?	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि आयोग से परामर्श किय (14)	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मुंच को क
कक्षा अथवा सम तों की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन तो जाने वाली रिक्ति सीधी विभागीय प्रोन्निति विभागीय प्रोन्निति कार्यालय के लिए	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प त्यों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है, (13) प्रोन्नति समिति (प्रपुष्टि हेतु):	तो उसकी संरचन भारत के महारा	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र ना क्या है ? जेस्ट्रार	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिनि आयोग से परामर्श किय	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मण स्टेस्ट
कक्षा अथवा सम त्रीं की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन ती जाने वाली रिक्ति सीधी विभागीय प्रोन्निति हैं 'ग' विभागीय कार्यालय के लिए (1) उप निदेशह	भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प त्यों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है, (13) प्रोन्नित समिति (र पुष्टि हेतु): क (प्रशासन) अथव	तो उसकी संरच- भारत के महारा	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र जा क्या है ? जेस्ट्रार	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि आयोग से परामर्श किय (14)	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मण स्टेस्ट
कक्षा अथवा सम तों की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन तो जाने वाली रिक्ति सीधी विभागीय प्रोन्निति है 'ग' विभागीय कार्यालय के लिए (1) उप निदेशक्ति (2) सहायक नि	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विधिन्न प् त्यां की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है, (13) प्रोन्नित समिति (प्रपुष्टि हेतु): क (प्रशासन) अथव	तो उसकी संरच- भारत के महारा	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र जा क्या है ? जेस्ट्रार	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती सेवा	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि आयोग से परामर्श किय (14)	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मण स्टेस्ट
कक्षा अथवा सम तों की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन तो जाने वाली रिक्ति सीधी विभागीय प्रोन्निति ह 'ग' विभागीय कार्यालय के लिए (1) उप निदेशव (2) सहायक नि	मुति सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प् त्यों की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है, (13) प्रोन्नित समिति (र पुष्टि हेतु): क (प्रशासन) अथव वरेशक (प्रशासन) अ	तो उसकी संरच- भारत के महारा अवर सचिव (प्र सथवा सहायक नि	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र जा क्या है ? जस्ट्रार गसाशन) देशक	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती सेवा	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि आयोग से परामर्श किय (14)	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में गण स्थेक
कक्षा अथवा सम तों की पद्धति : तेनियुक्ति/आमेलन तो जाने वाली रिक्ति सीधी विभागीय प्रोन्निति ह 'ग' विभागीय कार्यालय के लिए (1) उप निदेशव (2) सहायक नि	खुल्य उत्तीर्ण भर्ती सीधे होगी या द्वारा और विभिन्न प् त्यां की प्रतिशतता (11) भर्ती द्वारा समिति विद्यमान है, (13) प्रोन्नित समिति (प्रपुष्टि हेतु): क (प्रशासन) अथव विदेशक (प्रशासन) अ	तो उसकी संरच- भारत के महारा अवर सचिव (प्र सथवा सहायक नि	प्रोन्नित या प्रोन्नित या प्र जा क्या है ? जस्ट्रार गसाशन) देशक	प्रतिनियुक्ति य तिनियुक्ति या ला भर्ती सेवा	दो जामेलन द्वारा भर्ती व आमेलन किया जाएगा (12) गू नहीं करते समय किन परिवि आयोग से परामर्श किय (14)	ती दशा में वे ग्रेड जिनसे स्थितियों में मण स्टेस्ट

(13)

समूह 'ग प्रभाग के	' विभागीय प्रोन्नित समिति (कोलकाता स्थित भाषा लिए पुष्टि हेतु) :	on seed the union purp to the large	photography of elderstoon of the sound
(1)	सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा)	–अध्यक्ष	
(2)	भाषाविद अथवा अनुसंधान अधिकारी (भाषा) अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी)	—सदस्य	Aviotted to vroyens as Kr-ugdve2.a Barbuck behives seter
(3)	केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	M aspend to enfragues.
समूह 'ग' निदेशालय	विभागीय प्रोन्नित समिति (संबंधित जनगणना कार्य i में प्रोन्नित व पुष्टि हेतु) :	(with the self)	Name of Name the post pasts

(1) उप-निदेशक जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी)

(2) सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी

सदस्य

[फा. सं. ए-51011/7/2010-प्रशा.-5]

के. एस. साहनी, संयुक्त सचिव एवं भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Office of the Registrar General, India) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2011

- G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, (Record Keeper/Daftry/Senior Peon/Junior Gestetner Operator), Recruitment Rules, 2001, the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union territories, (Farash / Sweeper/Chowkidar/Mali/Loader/Peon/Packer) Recruitment Rules, 2001, and the Office of the Registrar General, India and the offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Peon Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the office of the Registrar General, India, and offices of the Directorate of Census Operations in States and the Union territories, namely :-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and offices of Directorate of Census Operations in States and the Union territories, Multi Tasking Staff (Group 'C') Post, Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDU	ILE	Overnment from time to	
ame of ne post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Fasking Staff	747* (2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, (Non- Ministerial)	Pay Band-1, (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay Rs. 1800	Not Applicable	Not Applicable	Between 18 and 27 years of age. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission
Educationa required for	l and other qualif	prescri	er age and ed bed for direct e of promote	recruits wil	l apply in	of probation, if any
(8)		(9)	(9)			
	on or equivalent gnized Board	pass	Not applicab			o years
recruitment or absorpt	t or by promotion	Whether by direct n or by deputation e of the vacancies ods	In cas grades be mad	from which	nent by promotion or d h promotion or deputa	eputation or absorption t
	(11)				(12)	serias (1 de careta)
By di	irect recruitment	ใหม่เกม ครายได้เสีย		uften xistili	Not applicable	
		sati-siese pagin	win the sales		maradikanta medada	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which the Unio Service Commission is to be con in making recruitment		sion is to be consulted		
		(13)				(14)
Group 'C	72 Departmental F	Promotion Committee For confirmation) co	tee (for the officensisting of :	ce of the	No	t applicable.
Registra 1.	Deputy Director ((Administration)	Administration) or	Under Secreta	ry	—Chairman	0

	(13)		
2.	Assistant Director (Administration) or Assistant Director of Census Operations (Technical)	Member	
3.	A Group 'A' officer of another Central Government office	Member	
Group '	C' Departmental Promotion Committee (for the Language n at Kolkata for confirmation) consisting of:		
1.	Assistant Registrar General (Language) or Senior Research Officer (Language)	—Chairman	
2.	Linguist or Research Officer (Language) or Assistant Director of Census Operation (Technical)	—Member	
3.	A Group 'A' officer of another Central Government office	Member	
Group ' he Dire	C' Departmental Promotion Committee (for the respective Of ctor of Census Operations for Confirmation) consisting of:	fices of	
	Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)	—Chairman	•
2.	Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Director of Census Operations	Member	
3.	A Group 'A' officer of another Central Government Office	Member	

[F. No. A-51011/7/2010-Ad-V]

K. S. SAWHNEY, Jt. Secy. & Jt. Registrar General of India

7. P.

Action of the state of the stat		14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
An analysis of the control of the co	Administrations) or Assistant — Mumber : December : Dec	
	Paradium (militare)	and the same and t
Action (A) — Control of the control	regularity (Carringe) ar Septod	L. Assistan Speinfach Batestein-Germanjis
And make the complete of a part of the complete of the complet	Officer (Leaguest) as A soldent	Lippins of Broams Upperson in the control of the c
Andrew Commence of	Paradisar Central Consensus office	
Assistant December of Centre (Department (Technics)) Assistant December of Centre (Department (Technics)) Assistant Distriction of Committee (December)	special visual v	eng Chasania la 161414
The Article of Contract of Contract Contract of Contra		* A - A - A - A - A - A - A - A - A -
	Carsus Operations (Technical) — Monker of Oreas Operations	Assistant Director of
		a A Choing Wallers of

(Else Jeffel) regen Asyr

R. S. SAWHEREY, R. Seen & H. Herricher Commit of India